Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding fishing policy.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में भगवान की कृपा से बहुत बड़ी समुद्र की देन हमें मिली हुई है और जहां-जहां समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, वहां लाखों की संख्या में मछुआरे मछली मारने के काम में निर्भर रहते हैं और लाखों की संख्या में मछुआरे मछली मारने का काम करते हैं । लेकिन, दुर्भाग्य से वैस्ट कोस्ट समुद्र तटीय क्षेत्र जो गुजरात से कन्याकुमारी तक जाता है, इसके ऊपर अलग-अलग राज्य निर्भर हैं । लेकिन, आज हर एक राज्य की फिशिंग पॉलिसीज़ में बहुत बड़ा फर्क है । गोवा में जब फिशिंग बंद होती है तो महाराष्ट्र में चालू होती है । गोवा में जब चालू होती है तो महाराष्ट्र में बद होती है । गुजरात में जब फिशिंग बंद होती है तो महाराष्ट्र में चालू हो जाती है । कन्याकुमारी में जब जाते हैं तो वहां की फिशिंग पॉलिसी में जितनी सहूलियतें हैं, उतनी सहूलियतें महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में भी नहीं है । मेरी यह प्रार्थना आपके मध्यम से केंद्र सरकार है कि देश में एक ऐसी फिशिंग पॉलिसी बनाई जाए ताकि उसका फायदा अच्छी तरह से मछुआरों को मिल सके । सम्पत्ति का भी रक्षण हो सकता है और जो समान पॉलिसी के फायदे भी हैं, जो केन्द्र सरकार की मछुआरों के लिए अलग-अलग योजनाएं हैं, उनके भी फायदे उन्हें मिल सकते हैं तो मेरी आपसे विनती है कि जल्दी से जल्दी एक समान फिशिंग पॉलिसी बनाने का काम केन्द्र सरकार के माध्यम से हो जाए ताकि मछुआरों को उसका फायदा हो और समुद्र सम्पत्ति में भी वृद्धि हो । अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन को श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

एसोसिएट करने के लिए आप लिखकर दे दीजिए, खड़े होने की जरूरत नहीं है सभी माननीय सदस्य समझ लें कि किसी विषय पर किसी माननीय

सदस्य को एसोसिएट करना है तो वह लिखकर टेबल ऑफिस में दे दे । किसी को भी खड़े होने की आवश्यकता नहीं है ।